न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सं. : 57/2016

अपीलान्ट

सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

1. नवरतनमल पिता स्व0 हीरालाल
2. लक्ष्मणसिंह पिता स्व0 हीरालाल
3. राजेन्द्र पिता स्व0 हीरालाल
   जाति माली निवासी अमरपुरा मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम।

– – –

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से तहसीलदार जोधपुर।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 की ओर से अभिभाषक श्री जयदेवसिंह चारण।

:– **आ दे श** :– दिनांक : 21.06.2018

1. तहसीलदार जोधपुर जिला जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 की अनुपालना में वाटर बोडीज के केचमेंट एरिया में हुए भूमि आवंटनों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत इस रेफरेन्स आवेदन–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्राथीयार्न् के पिता हीरालाल पुत्र शिवजी कौम माली साकिन दईजर के नाम ग्राम दईजर के खसरा नं. 36 में रकबा 6.10 बीघा किस्म नदी का आवंटन तहसीलदार जोधपुर के आदेशानुसार किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 234 दर्ज किया गया जो हीरालाल पुत्र शिवजी के फौत होने पर उनके तीन वारिसान् नवरतनमल, लक्ष्मण, राजेन्द्र पुत्र हीरालाल के नाम खसरा नम्बर क्रमशः 36, 36/3 व 36/2 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त आवंटन अप्रार्थीयान् के पिता को विधि विरुद्ध एवं गलत हुआ है । ग्राम दईजर का खसरा नम्बर 36 राजस्व रेकर्ड में नदी दर्ज है एवं खतौनी बन्दोबस्त अनुसार भी नदी होने के आधार पर यह रेफरेन्स की कार्यवाही हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के यहाँ प्रस्तुत किया गया। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के आदेश क्रमांक 112 दिनांक 28.01.2016 के द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रकरण में नियमित सुनवाई प्रारंभ की गई। अप्रार्थीगण की ओर से इस प्रकरण में अभिभाषक श्री जयदेव सिंह चारण उपस्थित हुए। इस प्रकरण में दिनांक 09.05.2018 को उनकी बहस सुनी गई।

अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री जयदेव सिंह चारण ने प्राथमिक आपत्तियां से संबंधित लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि निगरानीधीन नामान्तरणकरण संख्या 234 के कॉलम संख्या 14 में यह तथ्य वर्णित है कि ''माफीक आदेश संख्या 3247 दिनांक 28.11.1981 नियमन व श्रीमान तहसीलदार साहब जोधपुर के आदेशानुसार नामान्तरणकरण फॉर्म भरा गया। आदेश साथ में सलग्न है। बाद जाँच स्वीकृति हेतु पेश है।'' इस विवरण अनुसार यह प्रमाणित है कि यह नामान्तरणकरण संख्या 234 संबंधित नियमन आदेश की पालना स्वीकृत किया गया। जबकि उक्त नियमन को शुरू से आज तक कभी भी चैलेंज नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त नियमन आदेश आज दिनांक तक अन्तिम एवं बहाल है। तथा जमाबंदी संख्या 329 ग्राम दईजर संवत् 2059 से 2062 तक के कॉलम नं0 12 से 17 तक में वर्णित तथ्य अनुसार निगरानीधीन नामान्तरणकरण संख्या 1596 बंटवाड़ा आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया। नियमानुसार किसी भी आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरणकरण के विरूद्ध मेनटेनेबल ही नहीं माने जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मेनटेनेबल नहीं होने के कारण तथा इस रेफरेन्स के माध्यम से इस नामान्तरणकरण संख्या 234 व 1596 को निरस्त किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर दिलावें–

1. AIR 1990 S.C. Page 334 Point (C)
2. R.R.T 2009 (1) Page 19 Para (7)
3. RRD 1992 Page 356 Point (B)
4. RRT 2005 (5) Page 774
5. RRT 2016 (1) PAGE 155 PARA (10)
6. RRT 2016(1) PAGE 146 PARA (8 & 9)
7. RRD 1999 Page 351 Point (A) Raj. H.C.
8. RRD 1989 Page 233
9. RRD 1962 Page 191 Point (A) (DB)
10. RRD 1960 Page 20 Point (B) (DB)
11. RRD 1991 Page 234 Point (C)
12. RRD 2000 Page 151 Point (C) Raj.H.C.

13. RRD 1967 Page 49 Point(A)
14. RRD 1991 Page 179 Para (3)
15. RRD 1991 Page 179 Para (3)
16. RRD 1988 Page 320 Para (15)
17. Revenue Courts Manual Part II Rule 17
18. Revenue Courts Manual Part II Rule 21
19. RRD 1993 Page 28
20. RRD 1993 Page 24 (A) (b)
21. धारा 24 उप धारा (2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
22. धारा 82 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
23. RRT 2005 (2) Page 1007
24. RRD1998 Page 333 Para (4)
25. RRT 2010 (1) Page 562
26. RRD 1989 Page 669
27. RRD 2005 Page 713 Raj. H.C.
28. RRT 2005 (1) Page 479 Raj. H. C. (DB)
29. RRD 2005 Page 365 Raj.H.C. (DB)
30. RRT 2009 (2) Page 1408 Raj.H.C.
31. RRT 2005 (2) Page 1032 Raj.H.C.
32. RRT 2010 (1) Page 577 Raj.H.C.
33. RRT 2006 (1) Page 383 S.C.

अतः नजीरो में प्रतिपादित सिद्धान्त व निर्णय अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्त योग्य होना बताया।

सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अप्रार्थी के पिता स्वर्गीय हीरालाल पुत्र शिवजी माली निवासी अमरपुरा मण्डोर को पटवार मण्डल माणकलाव के ग्राम दईजर के खसरा नं0 36 में रकबा 6.00 बीघा का किस्म गै.मु. नदी में जरिये नामान्तकरण संख्या 234 स्वीकृत हुआ। बाद हकतर्क व फोतेदगी नामान्तकरण संख्या 880 दि0 20.06.2012 अप्रार्थीगण के हक में भरा गया बाद बंटवाडा नामान्तकरण संख्या 1596 के द्वारा नवरतनमल, खसरा नं. 36 रकबा 2.00, लक्ष्मणसिंह खसरा नं. 36/3 रकबा 2.00 बीघा राजेन्द्र खसरा नं. 36/2 रकबा 2.00 बीघा दर्ज किया गया। उक्त आवंटन अप्रार्थीगण को विधि विरूद्ध एवं गलत हुआ है। उक्त खसरा नं. 36 की किस्म राजस्व रेकर्ड के अनुसार गै0मु0 दर्ज है। ग्राम दईजर के खसरा नं. 36 धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में आता हैं। अतः प्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर की ओर से द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गाँव दईजर के खसरा नं. 36 रकबा 6.00 बीघा किस्म गै0मु0 नदी में हुए आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। उक्त प्रकरण में गै0 मु0 नदी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प010 (3)राज–6/2001–पार्ट/5 जयपुर दिनांक 26.6.2012 व परिपत्र क्रमांक प010 (3)राज–6/2001–पार्ट/17 जयपुर दिनांक 23.9.2011 अनुसार भी निर्देशित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एकल पीठ द्वारा याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2012 की अनुपालना में 1955 के पश्चात जितने भी आवंटन, उक्त प्रकार की भूमियों में जो नाला, नदी, तालाब, बांध या पायतन दर्ज रेकार्ड थे तथा भूमि वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ कर दिये गये है उन समस्त प्रकरणों में रेफरेन्स दर्ज करवाकर आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे।

अतः ग्राम दईजर तहसील जोधपुर के खसरा नं0 36 रकबा 6 बीघा किस्म गैर मुमकिन नदी में तहसीलदार जोधपुर के आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 234 व इसके बाद अब तक व फोतेदगी नामान्तरकरण संख्या 889 दिनांक 20.06.2007 व उसके पश्चात् अप्राथीगण के द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा का नामान्तरणकरण संख्या 1596 दिनांक 08.06.2012 को निरस्त करने एवं पुनः राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने की अनुशंसा के साथ रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

3. अप्रार्थी पक्ष बावजूद इतला अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक श्री ओमप्रकाश विश्नोई की बहस सुनी गयी । राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स प्रकरण के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम फींच का खसरा नं. 606/875 की भूमि वक्त सेटलमेंट से किस्म गैर मुमकिन आगौर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूमि में से नायब तहसीलदार जोधपुर के आदेशानुसार दिनांक 9.11.1977 द्वारा कानाराम पुत्र टीकूराम को 10 बिस्वा गैर मुमकिन बाड़ा का आवंटन हुआ जिसका नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 13.11.1977 दर्ज किया गया । श्री कानाराम व उसकी पुत्री पंकली फौत हो जाने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 423 दिनांक 17.5.1984 व विरासत नामान्तरकरण 951 दिनांक 05.10.2007 दर्ज होकर अप्रार्थीयान् के नाम है । जबकि विवादित भूमि खतौनी बन्दोबस्त अनुसार गैर मुमकिन आगौर हेतु सुरक्षित रखी गयी थी । गैर मुमकिन आगौर हेतु सुरक्षित रखी गयी भूमि का आवंटन अप्रार्थी को विधि विरुद्ध एवं गलत होना बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 13.11.1977 एवं उसके

आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 423 दिनांक 17.5.1984 व विरासत नामान्तरकरण संख्या 951 दिनांक 05.10.2007 निरस्त करने योग्य होना बताया। अपनी बहस में आगे यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन आगौर की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से उसमें किसी प्रकार का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है अतः विवादग्रस्त भूमि के नियमन करने के आदेश की पालना में भरे गये नामान्तरकरण निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने का निवेदन किया ।

4.

5. उक्त प्रकरण गैर मुमकिन आगौर उक्त धारा के बिन्दु संख्या 14 अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है । । अप्रार्थी को तात्कालिक नायब तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 09.11.1977 के तहत नियमन होने से अप्रार्थी कानाराम के नाम नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 13.11.1977 व अप्रार्थीयान् के नाम विरासत नामान्तरकरण 423 दिनांक 17.5.1984 व 951 दिनांक 05.10.2007 दर्ज होकर अप्रार्थीयान् के नाम स्वीकृत किये गये है जो अवैधानिक व विधि विरुद्ध होने से तथा उक्त आदेश नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नं. 606/875 की किस्म भूमि गैर मुमकिन आगौर है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है । नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम फींच तहसील जोधपुर (वर्तमान में तहसील लूणी) की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 की प्रमाणित छायाप्रतिलिपि अनुसार खसरा नं. 606/875 रकबा 20 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकिन आगौर है ।

6. अतः ग्राम फींच तहसील लूणी, के खसरा नं. 606/875 किस्म गैर मुमकिन आगौर में नायब तहसीलदार के आदेश व उसकी पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 13.11.1977, 423 दिनांक 17.05.84 व 951 दिनांक 05.10.2007 निरस्त करने एवं पुनः राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आगौर दर्ज कराने की अनुशंषा के साथ रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जाता है ।

(छगनलाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर